**निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर**

**प्रकरण संख्या 191/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )**

करण सिंह पुत्र श्री मिठ्ठू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रानियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर॰ ए॰ एस॰

**अप्रार्थी**

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन पुनर्राविलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 133/2020 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 98/2020 ब उनवानी करण सिंह बनाम सुशीला व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

**निर्णय** **दिनांक 05.01.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष पुनर्राविलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 133/2020 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 98/2020 ब उनवानी करण सिंह बनाम सुशीला व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में श्रीमती सुशीला देवी की ओर से वकील श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व प्रार्थना प. 151 सी पी सी का पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी सुशीला कंवर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ करने में लगे हुए है एवं आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते है तथा उन पर राजनैतिक दबाव बना कर प्रकरण को अपने पक्ष मे निर्णित करवाने को आमादा है। दिनांक 7.09.2022 को प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई का मैरिट के आधार पर उक्त पुनर्राविलोकन प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
जयपुर

का फैसला कर दे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को मौखिक रूप से कहा कि उक्त प्रकरण को मुझे जल्द से जल्द निस्तारित करना है और मै किसी प्रकार के नियमों को नहीं मानता हूँ । मैं उक्त प्रकरण को सुशीला कंवर के पक्ष में निस्तारित करके रहूँगा। प्रार्थी को उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये यह पूर्ण अन्देशा हो चुका है कि उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी एवं मूल प्रार्थना पत्र की अप्रार्थी सुशीला कंवर व अन्य के मध्य सांठगांठ हो चुकी है व प्रकरण सुशीला कंवर के पक्ष में निस्तारित किया जावेगा । उक्त कार्यवाही से अधीनस्थ न्यायालय की बदनियती स्पष्टतः प्रतीत होती है । अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई आशा शेष नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को जयपुर स्थित किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।.

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार सुशीला देवी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी करण सिंह ने एक रिव्यु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थी ने अप्रार्थिया सुशीला देवी तथा अन्य लोग भंवर सिंह, हनुमान, सिणगार कंवर, ईचरच कंवर, हनुमान सिंह, मान सिंह तथा भरौसिंह को पक्षकार बनाया है, परन्तु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जानूबूझ कर किसी व्यक्ति को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय को मुगालते में रखते हुये अपने मन माफिक फैसला करवाने के लिए अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अप्रार्थिया उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार है इसलिए न्यायहित में अप्रार्थिया को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। क्योकि बिना पक्षकार बनाये अप्रार्थिया अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकती है । अतः प्रार्थिया को पक्षकार बनाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा वेग आधारों पर प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में सुशीला व अन्य जो पक्षकार है उनमें से किसी को भी मुन्तकिल प्रर्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर